# न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या 301/2026
(UPHM01-001902-2026)

दाण्डिक अपील सं०– /2026
ओमप्रकाश लोधी बनाम राज्य उ०प्र०

**दिनांक 20.07.2026**

आज यह दाण्डिक अपील, अपीलकर्ता/दोषसिद्ध ओमप्रकाश लोधी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वनाथ वर्मा द्वारा प्रस्तुत की गयी।

सुना तथा मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया।

प्रस्तुत दाण्डिक अपील, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, राठ, जनपद हमीरपुर के न्यायालय द्वारा दाण्डिक वाद संख्या 41/2001, राज्य बनाम ओमप्रकाश लोधी, मु०अ०सं० 48/2001, अन्तर्गत धारा 10 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, थाना जरिया, जिला हमीरपुर के मामले में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 11.06.2026 से क्षुब्ध होकर दाखिल की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता/दोषसिद्ध अभियुक्त को ओमप्रकाश लोधी को धारा 10 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम में छः माह के कठोर कारावास व मु० 2000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा मूल जुर्माना रसीद दाखिल की गयी है।

आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया। उपरोक्त आदेश के विरुद्ध दाण्डिक अपील संधार्य है। अतः दाण्डिक अपील अंगीकृत की जाती है, पंजीकृत किया जाये। प्रत्यर्थी उ०प्र० सरकार के लिये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) को अपील मेमो की प्रति प्रदान की जाये। मूल पत्रावली तलब हो।

पत्रावली वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 06.08.2026 को पेश हो।

**सत्र न्यायाधीश,**
**हमीरपुर**

तत्पश्चात अपीलकर्ता/दोषसिद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को जमानत प्रार्थना पत्र 6 ख पर सुना गया।

अपीलकर्ता/दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड को न्यायालय में जमा किया जा चुका है जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न है तथा दोषसिद्धि के पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को अपील प्रस्तुत करने की अवधि तक अन्तरिम जमानत पर रिहा किया गया है। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता/दोषसिद्ध अभियुक्त को अपील के लम्बित रहने तक जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र 6 ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

अपीलकर्ता/दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा मु० 20,000/–(बीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष तीन कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत करने पर उसे अपील के निस्तारण तक जमानत पर रिहा किया जाता है।

तद्नुसार इस दाण्डिक अपील के निस्तारण तक उपरोक्त दोषसिद्धि आदेश दिनांकित 11.06.2026 व कारावास की सजा के क्रियान्वयन को स्थगित किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति तत्काल संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय भेजी जाये।

पत्रावली नियत तिथि को पेश हो।

तद्नुसार दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या 301/2026 निस्तारित किया जाता है।

**सत्र न्यायाधीश,**
**हमीरपुर**

Digitally signed by MANOJ KUMAR RAI
Date: 2026.07.20 16:32:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court